कार्यालय सिविल सर्जन सह अधीक्षक
श्रीमंत माधवराव सिंधिया
जिला चिकित्सालय विदिशा (म0प्र0)

निविदा प्रपत्र

वर्ष 2026—2027

निविदा प्रपत्र मूल्य 1000.00

जिला चिकित्सालय विदिशा के मोबालिटी सर्पोट वाहन की निविदा किये जाने के लिए पंजीकृत फर्मो से ई निविदा आमंत्रित की जाने वावत्।

1.निविदा/फर्म ऑनलाईन क्रय/जमा करने की प्रारभ्भ तिथी —23.04.2026

2.प्रीबिड मीटिंग 08.05.2026

3.निविदा फार्म ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथी 14.05.2026

5.तकनीकी निविदा खोलने की तिथी 08.05.2026

6.वित्तीय निविदा ऑनलाईन ही मान्य कि जावेगी। ~~2026—27~~

7.निविदा स्वीकृती/निरस्त करने के सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताकर्ता के पास सुरक्षित रहेगे।

सिविल सर्जन सह अधीक्षक
जिला विदिशा

Scanned with OKEN Scanner

//कार्य विवरण//

जिला चिकित्सालय विदिशा के मोबालिटी सर्पोट वाहन के तहत वाहन आवश्यकतानुसार समय समय पर वाहन उपलब्ध कराना रहेगा

Scanned with OKEN Scanner

DP- 3030

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला विदिशा म0प्र0

8/5/26

मासिक एवं आवश्यकता अनुसार दैनिक आधार पर टेक्सी रजिस्टर्ड वाहन, दैनिक आधार पर उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध एवं शासकीय वाहन मरम्मत/,रिपेरिंग एक वर्ष वित्तीय सत्र वर्ष 2026–2027

//ई–निविदा शर्ते//

जिला चिकित्सालय विदिशा में मासिक एवं आवश्यकता अनुसार दैनिक आधार पर टेक्सी रजिस्टर्ड वाहन किरो पर उपलब्ध कराने एवं शासकीय वाहन मरम्मत/रिपेरिंग, (कार्यादेश दिनांक से केवल एक वर्ष हेतु) ई–निविदा आंमत्रित की जाती है निविदाकार द्वारा निम्नानुसार तकनीकी अर्हता संबंधी दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगें, किसी भी तकनीकी, दस्तावेज के अभाव मे निविदा निरस्त की जा सकेगी।

1:– निविदाकर्ता से संबंधित वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय म.प्र. में टेक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिए।

2:– निविदाकर्ता को वाहन के साथ वैध रजिस्ट्रेशन बीमा पॉलिसी वैध पाल्यूशन सर्टिफिकेट इत्यादि एवं गाडी से संबंधित सभी दस्तावेज हमेशा वाहन में रखने होगें। किसी भी वैधानिक कार्यवाही होने पर समस्त जबाबदारी निविदाकर्ता की होगी।

3:– निविदकर्ता को वाहन के साथ प्रशिक्षित ड्राईवर निर्धारित यूनिफार्म, जिसके पास वैध लायसेंस हो, जिसका व्यवहार सौम्य,मधुर हो, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ (नेत्र चिकित्सक द्वारा नवीन नेत्र परीक्षण रिर्पोट संलग्न करना अनिवार्य, वाहन चालक को उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेशो का पालन करना अनविार्य होगा वाहन चालक के चरित्र संदेहास्पद पाया जाता है तो निविदकर्ता को तत्काल उसे परिवर्तित करना होगा।

4:– वाहन चालक नशे में पाये जाने पर प्रतिदिन 1000/–रूपये अनुसार कटोत्रा किया जा सकेगा।

5:– निविदाकर्ता को मासिक आधार पर वाहन निर्धारित संख्या में मांग अनुसार हमेशा दुरूस्त (फिटनेस) हालत में उपलब्ध करवाना होगा। वाहन एव वाहन चालक के समस्त वैध दस्तावेज,वाहन व्यवस्था के प्रभारी/संबंधित शाखा को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने होगे। वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा जमा कराई गई परफामेंश राशि में से रूपये 1000/–(एक हजार रूपये) प्रतिदिवस के मान से प्रति वाहन जुर्माना का कटोत्रा किया जावेगी।

6:– बी.ओ.क्यू.में प्रतिमाह (अधिकतम 1000 किलोमीटर तक के लिए) प्रति वाहन की दरे प्रस्तुत करनी होगी जिस फर्म की प्रतिमाह प्रति वाहन की दर न्यूनतम होगी उसे सफल निविदाकर घोषित जाऐगा। (वित्तीय तुलनात्मक पत्रक अनुसार वाहन का चयन समिति द्वारा किया जाऐगा।) इस हेतु डीजल ल्यूब्रिकेन्ट ड्राईवर वेतन व खर्चा वाहन में टूट फूट बैटरी आयर टयूब टोल टैस बीमा एवं अन्य समस्त वाहन खर्च का वहन प्रदायकर्ता एजेन्सी को ही वहन करना होगा। देयक मं सफल निविदाकार को नियामानूसार जीएसटी प्रस्तुत करना होगी जिस पर नियमानुसार संस्था द्वारा जी एस टी/टीडीएस कटोत्रा कर भुगतान किया जायेगां 1000 किलोमीटर प्रतिमा से अधिक वाहन चलने पर 09 रूपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाऐगा।

7:– सफल निविदाकर को टेक्सी परमिट एवं जी पी एस संचालित करना होगा अन्यथा की स्थिति में प्रतिमाह टेक्सी परमिट के 500 रूपये एवं जी.पी.एस न होने पर 500 रूपये प्रतिमाह कटोत्रा किया जाऐगा।

8:– अनुबंधित वाहन आवंटित अधिकारी के पास 24 घंटे उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। माह में संर्विस व मेन्टेन्स हेतू 01 दिवस की छूट दी जायेगी। निविदाकर्ता को आवंटित अधिकारी के पास प्रतिदिन निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध होगा। वाहन पर पदस्थ वाहन चालक का यह दाायित्व होगा कि प्रतिदिन ओपनिंग एवं क्लोजिंग माईलोमीटर रीडिंग संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापति कराई जानी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

9:— निविदाकर्ता द्वारा मासिक आधार पर उपलब्ध कराये गये वाहन की लॉग–बुक स्पष्ट रूप से उपयोग किये गये कि.मी.समय दिनांक, स्थान, भरकर संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर देयक के साथ मूल लॉग बुक प्रस्तुत करना होगा, छायाप्रति मान्य नही होगी, लॉग–बुक में कांट/छाट/ओवर राईटिंग मान्य नही की जावेगी।

10:— निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन को शहर ले जाने पर टोल टैक्स/पार्किंग की रसीद देयक के साथ प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा। वाहन चालक के वेतन एवं अन्य समस्त भत्तो के व्यय की पूर्ण जबाबदारी निविदाकर्ता की होगी।

11:— निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनो में से किसी भी वाहन को हटाने,परिवर्तित करने का अधिकार निविदा समिति जिला विदिशा के पास सुरक्षित रहेगा।

12:— मासिक वाहन का 24 घंटे में कभी भी आवश्यकतानुसार संचालन किसी भी समय किया जा सकेगा।

13:— किसी भी वाहन का बीमा एक्सपायर होने के पूर्व वाहन के बीमा को समय पर नवीनीकृत कराये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन संचालक का होगा, यदि बीमा एक्सपायर होता है व इस दौरान कोई दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण दायित्वो/मुआवजे के लिए वाहन संचालनकर्ता/निविदाकर्ता ही पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन संचालक का होगा, यदि बीमा एक्सपायर/मुआवजे के लिए वाहन संचालनकर्ता/निविदाकार ही पूर्ण उत्तदायी रहेगे कार्यालय नही।

14:— सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन सिविल सर्जन मोबीलिटी सपोर्ट 24*7 हेतु व चिकित्सक कॉल वाहन 24*7 हेतु के लिए 01 वाहन आवश्यक होगें वह वाहन 24*7 घंटे उपलब्ध रहेगा जिसका उत्तरदायिकत्व निविदाकार का होगा यदि वाहन/वाहन चालक की उपलब्धता न होने की स्थिति में प्रतिदिन 1500/– रूपये की राशि पेनल्टी बतौर काटी जाकर पृथक से वाहन की व्यवस्था के लिए होने वाले व्यय भी संबंधित निविदाकार के उपलब्ध देयको के कटोत्रा किया जाऐगा।

15:— निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन संबंधित अधिकारी के पास 24 घंटे मय वाहन चालक की उपलब्धता सहित रहेगी, नियंत्रकर्ता अधिकारी के निर्देशानुसार वाहन चालक उपलब्ध रहेगा।

17:— वैधानिक लायसेंस वैधानिक दस्तावेज न होने, दुर्घटना मुआवजा अन्य कारणो से किसी भी प्रकार की पुलिस कार्यवाही आदि के लिये निविदाकार उत्तरदायी होगा।

18:— निविदाकर्ता द्वारा किसी वाहन को बदला जाता है तो कार्यालय को सूचित करते हुये वाहन शाखा के माध्यम से वाहन परिवर्तन किये जाने वावत् संपूर्ण दस्जावेजो का सत्यापन कराते हुये लिखित आदेश पत्र प्राप्ति के उपरांत ही वाहन संचालन मान्य होगा बगैर सत्यापित वाहन के देयको का भुगतान नही किया जावेगा।

19:— दर सामान होने पर लॉटरी सफल निविदाकर घोषित किया जाऐगा।

20:— सफल निविदाकार द्वारा देयक समय पर प्रस्तुत करना होगा प्रस्तुत किये देयको का भुगतान किसी कारणवश वरिष्ठ कार्यालय से बजट प्राप्त न होने पर या किसी कारण वश भुगतान नही होता है तो अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान की कार्यवाही वरिष्ठ देय नही होगां अनावश्यक पत्राचार नही किया जायेगा।

21:— फर्म का जी एस टी पंजीयन जीवंत की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

22:— पेन कार्ड की छायप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23:— निविदाकार को म0प्र0 दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 का संबंधित कार्य अथवा एनी अदर कमर्षियल एस्टाबिलिश्मेंट का जीवित पंजीयन/एम एस एम ई MSME. पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

24:– राशि 100/– रू के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नॉन ब्लेक लिस्ट संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

25:– एक वर्ष का संबंधित कार्य करने का शासकीय कार्य अनुभव अनिवार्य है।

26:– सफल निविदाकार को 1000/– रूपये का स्टाम्प पर निविदा शर्तानुसार अनुबंध कर धरोहर राशि रूपये 20,000/– बीस हजार रूपये की एफ डी आर जो कि सचिव रोगी कल्याण समिति/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला विदिशा म0प्र0के नाम बना कर कर जमा करना अनिवार्य है।

27:– सफल निविदाकार्ता को मासिक आधार पर/ कार्य पूर्ण उपरांत देयक दो प्रतियों में अनुबंधित दर अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

28:– निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने के संपूर्ण अधिकार सिविल सर्जन सह अधीक्षक का होगा, जो सभी निविदाकारो को मान्य होगा, निविदा प्रक्रिया किसी भी समय निरस्त/संशोधन होगा तो वह बेवसाईट mptenders.gov.in पर अपलोड किया जाएगा इस हेतु समाचार पत्र या किसी अन्य माध्यम से सूचना नही दी जावेगी।

29:– प्रस्तुत निविदा अनुसार सर्व प्रथम तकनीकी निविदा अनुसार दस्तावेजो का परीक्षण किया जायेगा तकनीकि निविदा अनुसार पात्र फर्मो की दर निविदा खोली जायेगी जिसमें न्यूनतम दरो को अनुमादित किया जायेगा, न्यूनतम दर वाली फर्म को अनुमोदित दर से अवगत कराते हुये कार्य आदेश जारी किया जा सकेगा।

31:– अनुमोदित दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया जायेगा निविदाकार अनुमोदत दर अनुसार कार्य करने हेतु वाध्य होगा,निविदाकर द्वारा भी बृद्धि की मांग नही की जा सकेंगी।

32:– निविदा स्वीकृति कार्यादेश दिनांक से 01 वर्ष हेतु मान्य होगी इसके उपरांत परस्परिक सहमति से छः माह/नवीन निविदा होने तक अवधि को बढाया जा सकेगा।

33:– सफल निविदाकार द्वारा यदि अनुबंध शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षि रहेगा ।

34:– फर्म द्वारा निविदा के साथ संलग्न दस्तावेज गलत/फर्जी पाये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

35:– किसी प्रकार के विवाद के निपटारे के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय सभी पक्षो के लिए मान्य रहेगा।

36:– निविदा संबंधी किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही के लिए न्याय क्षेत्र जिला विदिशा रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by ANUP VERMA
Date: 2026.05.08 19:29:28 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

Scanned with OKEN Scanner